न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी—सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सरपंच ग्रा0प0 6D.W.M. बनाम जगमाल व अन्य

किस्म मुकदमाः—रास्ता स्वीकृती प्रकरण प्रकरण संख्याः— 46/2025 GCMS:-2025/136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2025	पत्रावली पेश हुई। सरपंच ग्राम पंचायत 6 D.W.M. ने प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 195/58 के किला नं. 5/1, 6/1, 15/1, 16/1, 25/1 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा पूर्व दिशा में चल रहे कदीमी रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। तहसीलदार सूरतगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रस्तावित रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। ना ही कोई विवाद/स्थगन आदि बताया है। प्रस्तावित रास्ता में मकान/पेड़ आदि नही होना बताया है। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा नक्शा मौका का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार प्रस्तावित रकबा के चक 4 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 195/58 के किला नं. 5/1 का रकबा जगमाल पुत्र दौलताराम व किला नं. 6/1, 15/1, 16/1, 25/1 का रकबा छिन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल, पृथ्वीराज पुत्र बृजलाल एवं रोशनी देवी पत्नि आशाराम के नाम से खातेदार अंकित है। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है। संबंधित खातेदारान ने भी उक्त रास्ता काफी वर्षो से चालू होना बताया है तथा रास्ता स्वीकृत करने की सहमति में 50—50 रूपये के स्टाम्प पर सहमति प्रदान की है। किसी प्रकार की कोई विपरित टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 4 बी.एम.एम. के पत्थर नं. 195/58 (47) के किला नं. 5/1, 6/1, 15/1, 16/1, 25/1 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा पूर्व दिशा में कदीमी रास्ता (चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता) स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत कदीमी रास्ता संबंधित निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शें में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जावेगा व रास्ता के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावेगी। शेष अंकन यथावत् रहेगें। उक्त रास्ता का अंकन लाल स्याही से किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.10.03 13:53:39 Reason: SelfAttested (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	5678 01.10.2025